

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :

संचिका संख्या-2/एल०-114/2025 /स्वा०, डा० सतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा द्वारा उपभोगित अवकाश की अवधि दिनांक-16.03.2022 से 25.05.2022 तक कुल-71 (एकहत्तर) दिनों को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1620(25), दिनांक-05 08 2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं बिहार सेवा सहिता के नियम-180, 230 एव 248 के आलोक में अवकाश को निम्नवत रूप में स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-16.03.2022 से 04.05.2022 तक	-	कुल 50(पचास) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-05.05.2022 से 25.05 2022 तक	-	कुल 21(इक्कीस) दिनों को असाधारण अवकाश के रूप में।

2 इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-116/2025- 853(2) पटना, दिनांक 23/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा/डा० संतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।